

दिनांकः 22-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा मात्र 04 दिन में हाइवे पर चौकीदार को बन्धक बनाकर उकैती की घटना कारित करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 08 शातिर उकैत/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अस्लाह/कारत्स व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद

बरामदगी-

- 🕨 01 बोलेरो पिक अप
- 03 मोटरसाइकिल
- 🗲 01 छोटा हाथी
- 03 तमंचा 315 बोर
- \succ 06 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 🗲 10 कुन्तल लोहे का सामान
- 6700/- रुपये नगद

• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मात्र 04 दिन में डकैती का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रूपये का नकद पुरस्कार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2024 को वादी श्री शुभम त्यागी पुत्र श्री श्रवण कुमार त्यागी निवासी पुण्डैन थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हाइवे पर स्टोर में नियुक्त चौकीदारों को बन्धक बनाकर 120 एंकर कोन, 80 पीस एंकर स्लीव, 200 किलोग्राम नट बोल्ट, सरिया व कुछ फोल्डिंग मटैरियल व समर सेविल मोटर व सैटरिंग प्लेट व अन्य सामान लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

विषष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल शीघ्र अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 08 शातिर डकैत अभियुक्तगण 1. करण पुत्र हरद्वारी निवासी विशन चौक मन्दिर वाली गली ब्रहमपुरी कालौनी थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ, 2. साहिल पुत्र फजरुद्दीन निवासी ग्राम कल्लूगढी, डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, 3. मनीष पुत्र हरवीर निवासी ग्राम दुल्हैडा चौहान थाना पल्लवपुरम जिला मेरठ, 4. रामप्रकाश पुत्र गंगादास ग्राम डबरिया मोहल्ला पिलखुआ थाना पिलखुआ जिला मेरठ हाल पता हनुमान पुरी मेरठ, 5. पिन्टू पुत्र गंगादास ग्राम डबरिया मोहल्ला पिलखुआ थाना पिलखुआ जिला मेरठ हाल पता शीकरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, 6. सादाब पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला शराफत कालौनी देवीदास खतौली थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर, 7. जितेन्द्र कुमार पुत्र नवीन कुमार निवासी ग्राम गजरौला हसनपुर थाना अमरोहा जिला अमरौहा हाल पता फतवा कालौनी इन्द्रागढी थाना मसूरी जिला

गाजियाबाद व 8. जगत सिंह उर्फ भगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर पुत्र सुक्खी उर्फ सुखा उर्फ सप्पन निवासी मौहल्ला तुलसी बिहार दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर हाल निवासी चमन विहार, शोभापुर चौकी के पीछे, पैट्रोल पम्प के बराबर, वाले रास्ते पर थाना कंकरखेडा जिला मेरठ को सरसीना बार्ड राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से गिरफ्तार किया गया। तथा इनके दो अन्य साथियों की तलाश की जा रही है जिसमें इनका एक साथी घटना में शामिल था और एक जो इनसे चोरी का सामान खरीदता था। गिफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशादेही पर हाइवे से लूटे गये 10 कुन्तल लोहे के सामान, घटना में प्रयुक्त की गयी 01 बुलेरे पिकप, 01 छोटा हाथी, 03 तमंचा/ 06 जिन्दा कारतूस जिन्दा 315 बोर, 03 मोटरसाइकिल(01 अपाचे, 01 स्पलेण्डर व एचएफ डिलेक्स) व 6700/- रूपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 395,412 भादिव की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त आपराधी है जो पूर्व में जनपद मेरठ के कई मुकदमों में जेल जा चुके है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मां0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरणः-

अभियुक्त जगत उपरोक्त (गैंग लीडर) ने बताया कि हमारा एक संगठित गिरोह है तथा शादाब जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जिससे मेरी 01 साल से जान पहचान है, शादाब कुछ समय पहले ही मेरठ के खरखौदा से लोहा चोरी में जेल गया था जो अभी 15 दिन पहले ही जेल से आया है। उसे पता था कि मै और मेरे साथी इस तरह के काम करते हैं। शादाब उपरोक्त ने जगत को बताया कि नागल में लोहे का बहुत माल पड़ा है और मैने रैंकी भी कर रखी है। जिस पर जगत ने अपने साले पिन्टु और रामप्रकाश व अपने अन्य साथियों को मेरठ के शोभापुर पट्रोल पम्प पर बुला लिया और शादाब भी वहा आ गया और जहां सभी ने मिलकर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई और योजना के तहत मेरठ के शोभापुर पट्रोल से दिनांक 17/18-03-2024 की रात्रि को जगत अपने साले पिन्टु व रामप्रकाश के साथ 02 मोटरसाइकिल (अपाचे व स्पलेण्डर) से व अन्य साथी किराये पर लिए छोटे हाथी व पिकअप से देवबन्द, सहारनपुर रोड पर एक ढाबे पर आ गये जहा शादाब पहले से ही अपनी एचएफ डिलेक्स मोटरसाइकिल लेकर मौजूद था, फिर वहा से मै(जगत), शादाब, पिन्टु और रामप्रकाश मोटरसाइकिल से आगे-आगे और बाकी छोटे हाथी (जोकि टीपीनगर मेरठ से भाडे पर लाये थे) व पिकअप गाडी से घटना स्थल पर पहुंच गये और चौकिदारों को बंधक बनाकर रोड़ के दूसरी ओर खेत में बाधकर डाल दिया तथा हमारा एक साथी उसकी रखवाली कर रहा था तब तक हम लोगो सारा लोहा व अन्य सामान अपनी गाडियों में लिया और चौकीदार को खेत में बंधा छोडकर वहा से निकल गये थे। तथा चोरी किये गये लोहे के सामान में से कुछ सामान एक कबाडी को बेच दिया था और जो सामान बचा था उसे आज हम लोग बेचने जा रहे थे, हम सहारनपुर में एक सतसंग भवन के पास योजना बना रहे थे कि पुलिस से माल बचाकर कैसे निकला जाये कि तभी पुलिस टीम ने हमे पकड़ लिया। जो 6700/- रूपये नकद पुलिस टीम को हम लोगों के पास से बरामद हुए है यह उन्हीं में से बचे रूपये है जो हम लोगो को सामान बेचकर मिले थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- 1. जगत सिंह उर्फ भगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर पुत्र सुक्खी उर्फ सुखा उर्फ सप्पन निवासी मौहल्ला तुलसी बिहार दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर हाल निवासी चमन विहार, शोभापुर चौकी के पीछे, पैट्रोल पम्प के बराबर, वाले रास्ते पर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ j
- 2. करण पुत्र हरद्वारी निवासी विशन चौक मन्दिर वाली गली ब्रहमपुरी कालौनी थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ
- 3. साहिल पुत्र फजरुद्दीन निवासी ग्राम कल्लूगढी डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
- 4. मनीष पुत्र हरवीर निवासी ग्राम दुल्हैडा चौहान थाना पल्लवपुरम जिला मेरठ

- 5. रामप्रकाश पुत्र गंगादास नि0 ग्राम डबरिया मोहल्ला पिलखुआ थाना पिलखुआ जिला मेरठ हाल पता हनुमान पुरी मेरठ s
- 6. पिन्टू पुत्र गंगादास ग्राम डबरिया मोहल्ला पिलखुआ थाना पिलखुआ जिला मेरठ हाल पता शीकरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद s
- 7. सादाब पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला शराफत कालौनी देवीदास खतौली थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
- 8. जितेन्द्र कुमार पुत्र नवीन कुमार निवासी ग्राम गजरौला हसनपुर थाना अमरोहा जिला अमरौहा हाल पता फतवा कालौनी इन्द्रागढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः

- 🕨 01 बुलेरो पिकप
- 🗲 01 छोटा हाथी
- 03 मोटर साईकिल
- ➤ 10 कुन्तल लोहे का सरिया व अन्य लोहे का सामान
- 🍃 03 तमंचा 315 बोर
- 🕨 06 कारतूस 315 बोर
- 6700/- नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
- 2. निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नागंल सहारनपुर
- 3. व0उ0नि0 ओमेन्द्र सिंह थाना नागंल सहारनपुर
- 4. उ०नि० सुरेन्द्र सिंह थाना नागंल सहारनपुर
- 5. उ0नि0 असगर अली थाना नागंल सहारनपुर
- 6. हे0क0 सोनू शर्मा सर्विलांस सेल
- 7. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नागंल सहारनपुर
- 8. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नागंल सहारनपुर
- 9. का० २४४० हरकेश कुमार थाना नागंल सहारनपुर
- 10. का० 1970 अनुज कुमार थाना नागंल सहारनपुर
- 11. का० 2392 लविश कुमार थाना नागंल सहारनपुर

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त जगत सिंह उर्फ भगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर का आपराधिक इतिहास (गैंग लीडर)

- 1. म0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि नागल, सहारनपुर
- 2. म0अ0सं0 66/21 धारा 457/380/411 भादवि रोहटा मेरठ
- 3. म0अ0सं0 ४७३/२२ धारा १४७/१४८/३०७ भादवि थाना कंकरखेडा मेरठ
- 4. म0अ0सं0 110/22 धारा 136/137/139 भादवि थाना भावपुर मेरठ
- 5. म0अ0सं0 223/22 धारा 136 वि0अधि0 थाना पल्लवपुरम मेरठ
- 6. म0अ0सं0 611/18 धारा 323/341/504/506 भादवि थाना दौराला मेरठ
- 7. म0अ०सं० ४६९/२२ धारा ३९५/४१२/४१३ भादवि थाना कंकरखेडा मेरठ
- 8. म०अ०सं० ३०२/२२ धारा १३६/१३७ भादवि थाना खरखौदा मेरठ

- 9. म0अ०सं० ३५१/२२ धारा ३७९/४११ भादवि थाना कंकरखेडा मेरठ
- 10. म0अ०सं० २७६/२२ धारा ३७९/४११/४२७ भादवि थाना खरखौदा मेरठ
- 11. म0अ0सं0 875/22 धारा २/३ गैगस्टर एक्ट थाना कॅंकरखेडा मेरठ
- 12. म०अ०सं० ४७४/२२ धारा ३/२५ ए एक्ट थाना कॅंकरखेडा मेरठ
- 13. म0अ0सं0 २७/२१ धारा ४५७/३८०/४११ भादवि थाना परतापुर मेरठ
- 14. म0अ0सं0 28/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना परतापुर मेरठ
- 15. म0अ0सं0 29/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना परतापुर मेरठ

अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1. म0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि थाना नागल, सहारनपुर
- 2. म0अ०सं० २७७१२१धारा ३८०/४११/४५७ भादवि थाना परतापुर, मेरठ
- 3. म0अ0सं0 228/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना परतापुर, मेरठ
- 4. म0अ0सं0 29/21धारा 380/411/457 भादवि थाना परतापुर, मेरठ
- 5. म0अ0सं0 245/21 धारा 414 भादवि थाना ब्रहमपुरी, मेरठ
- 6. म0अ0सं0 765/19 धारा 411/419/420/465 भादवि थाना सरधना, मेरठ

अभियुक्त रामप्रकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1. म0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि थाना नागल, सहारनपुर
- 2. म०अ०सं० ३५१/२२ धारा ३७९ /४११ भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 3. म0अ०सं० ४७३/२२ धारा १४७/१४८/३०७ भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 4. म0अ०सं० ४६९/२२ धारा ३९५/४१२/४१३ भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 5. म0अ०सं० ८७५/२२ धारा २/३ गैगस्टर एक्ट थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 6. म०अ०सं० २७६/२२ धारा ३७९/४११/४२७ भादवि थाना खरखौदा, मेरठ
- 7. म0अ०सं० ३०२/२२ धारा १३६/१३७ वि०अधि० थाना खरखौदा, मेरठ
- 8. म0अ0सं0 258/22 धारा 379/41/427 भादवि थाना परिक्षितगढ, मेरठ
- 9. म0अ0सं0 117/22 धारा 136 विधुत अधि0 थाना पल्लवपुरम, मेरठ
- 10. म0अ0सं0 174/22 धारा 136 विधुत अधि0 थाना पल्लवपुरम, मेरठ
- 11. म0अ0सं0 223/22 धारा 136 विधुत अधि0 थाना पल्लवपुरम, मेरठ
- 12. म0अ0सं0 110/22 धारा 136/137/139 वि0अधि0 थाना भावनपुर, मेरठ

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1. मु0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि थाना नागल, सहारनपुर
- 2. मु०अ०सं० ३५१/२२ धारा ३७९ /४११ भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 3. मु०अ०सं० ४७३/२२ धारा १४७/१४८/३०७ भादवि थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 4. मु०अ०सं० ८७५/२२ धारा २/३ गैगस्टर एक्ट थाना कंकरखेडा, मेरठ
- 5. मु0अ0सं0 २७६/२२ धारा ३७७/४११/४२७ भादवि थाना खरखौदा, मेरठ
- 6. मु0अ0सं0 258/22 धारा 379/41/427 भादवि थाना परिक्षितगढ, मेरठ
- 7. मु0अ0सं0 117/22 धारा 136 विधुत अधि0 थाना पल्लवपुरम, मेरठ
- 8. मु०अ०सं० 174/22 धारा 136 विधुत अधि० थाना पल्लवपुरम, मेरठ
- 9. मु0अ0सं0 223/22 धारा 136 विधुत अधि0 थाना पल्लवपुरम, मेरठ

अभियुक्त करण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1. मु0अ0सं0 620/17 धारा 13 जुआ अधि0 थाना ब्रहमपुरी, मेरठ
- 2. म0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि थाना नागल, सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर सट्टेबाज अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पेन्सिल, 01 रिजस्टर का गत्ता व पर्चा सट्टा व 1310/- रूपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा जुआ/ सट्टे की खाई बाडी करने वाला शातिर अभियुक्त अफजाल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी पीर वाली गली नं0 20 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को पीर वाली गली नं0 20 में कोने पर परचून की दुकान पर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 13 जी जुआ अधि0 पंजीकृत किया गय अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मै ज्यादा पढा लिखा नहीं हूं और अपने शौक पूरा करने के सट्टे की खाईबाडी का काम करता हूँ। जिसमें मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

<u> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

अफजाल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी पीर वाली गली नं मण्डी जनपद सहारनपुर थाना 20 0

बरामदगी का विवरण –

- ▶ 01 पेन्सिल.
- 01 रजिस्टर का गत्ता व
- ०१ पर्चा सटटा
- 1310/- रूपये नकद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

- 1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 2. कां0 1090 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 3. का० २३१८ सौरभ कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 पेन्सिल, 01 रजिस्टर व 01 पर्चा सट्टा व 1130/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व मे मे थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा जुआ/ सट्टे की खाई बाडी करने वाला शातिर अभियुक्त फैसल पुत्र मौबीन निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान थाना देवबन्द सहारनपुर वर्तमान पता पीर वाली गली नं 17 में (शहजाद पुत्र वहीद के मकान) मे थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को इन्द्रा चौक से 62 फुटा चौक पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ०सं० 110/2024 धारा 13 जी जुआ अधि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मै ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ तथा मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं अपना खर्चा चलाने के लिए सट्टे की खाईबाडी करता हूँ। इसमें मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

<u> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

फैसल पुत्र मौबीन निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान थाना देवबन्द सहारनपुर वर्तमान पता पीर वाली गली नं 17 में (शहजाद पुत्र वहीद के मकान) मे थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 पेन्सिल, 01 रजिस्टर का गत्ता व 01 पर्चा सट्टा व 1130/- रूपये नकद

- 1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 2. कां0 1090 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 3. कां0 2318 सौरभ कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध

असलाह/कारत्स सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अपराधी रफीक पुत्र सफीक निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को सुलतान के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 0049/2024 धारा 3/25 आमर्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रफीक उपरोक्त ने बताया कि मैं पहले कई मुकदमें में थाना किरतपुर, बिजनौर से जेल जा चुका है अब मैं अपने परिवार में ग्राम कैलाशपुर में पिछले 3-4 साल से रह रहा हुँ। मेरी लोगों से रजिंश है जिसकी वजह से मैं अपनी सुरक्षा के लिये तमंचा अपने साथ रखता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

रफीक पुत्र सफीक निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

मु०अ०स० 328/12 धारा 102/41/411/420 भादिव चालानी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर मु०अ०स० 341/15 धारा 379 भादिव चालानी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर मु०अ०स० 371/15 धारा 4/25 भादिव चालानी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर मु०अ०स० 49/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

- 1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप अधाना थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
- 2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
- 3. का०३९८ नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
- 4. का0464 शोभित थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।



दिनांकः 22-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

तमन्चा व 01 जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01शातिर अभियुक्त मौ0 बुरहान पुत्र मौ0 इमरान निवासी जीवनगढ थाना विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड हाल निवासी ढौलू कालौनी मौ0 गाडान करुबा व थाना बेहट सहारनपुर को दाउदपुरा अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा व 01जिन्दा कारतूस 315 बारामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-101/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समये से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जो तमंचा पुलिस टाम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं अपने पास रोब गालिब करने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौ० बुरहान पुत्र मौ० इमरान निवासी जीवनगढ थाना विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड हाल निवासी ढौलू कालौनी मौ० गाडान करूबा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी-

🕨 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 3. का० 1924 प्रताप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 4. का० ४८६ राहुल खोखर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तरकर अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि विरष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थ एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियनान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त संजीव उर्फ संजू पुत्र कियाज निवासी ग्राम उमाही राजपूत थाना नानौता जनपद सहारनपुर को देवबन्द रोड उमाही राजपूत तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संजीव उर्फ संजू उपरोक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 65/24 धारा 60(1)ख आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त संजीव उपरोक्त ने बताया कि मैं अनपढ हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। कच्ची शराब को सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव उर्फ संजू पुत्र कविराज निवासी ग्राम उमाही राजपूत थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर कच्ची शराब खाम

- 1.उ0नि0 प्रवेश शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.है0का0 729 उपेन्द्र कुमार जनपद सहारनपुर



दिनांकः 22-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

<u>थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12</u>

ग्राम अवैध रमैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त दिलशाद पुत्र मौहम्मद हसन निवासी ग्राम बैरखेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर को ग्राम पठानपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज व 01 मोटर साइकिल सुपर स्पलैण्डर नं0- UP 17 A 1492 बिना कागजात के बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-100/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया व बिना कागजात की मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मै कम पढ़ा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर अपने आस पास के क्षेत्रों में नशा करने वालों को अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र मौहम्मद हसन निवासी ग्राम बैरखेडी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 438/19 धारा 147, 148, 149, 323, 352, 504 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर। बरामदगी -
- 🕨 12 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज
- 🕨 01 मोटर साइकिल सुपर स्पलैण्डर नं0 HP 17-A-1492

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 4. का० 1325 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 फ़ुटी पाउच देशी शराब महबुबा गोल्ड उ0प्र0 मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत अवैध शराब व नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 22.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सुनील पुत्र समेरा निवासी ग्राम कंजौली थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर को डा0 किरणपाल सिंह के क्लिनिक के सामने ननौता रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 35 फूटी पाउच देशी शराब मसालेदार महबूबा गोल्ड उ०प्र0 मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सुनील उपरोक्त के विरूद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 - 85/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पुछताछ पर बताया कि मै यह शराब ठेके से खरीदकर आस पास के गांवों में महंगे दाम पर बेच देता हूं, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैने यह शराब ठेके से खरीदी थी तथा मै इसे बेचने जा रहा था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सुनील पुत्र समेरा नि0 ग्राम कंजौली थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण—

35 फ्रूटी पाउच देशी शराब मसालेदार महबूबा गोल्ड उ०प्र0 मार्का।

अभि0 को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

- 1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
- 2. उप निरीक्षक अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
- 3. है0का0 807 रविन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
- 5. का० ४०४ मनीष थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वारंटी अभियुक्त धनंजय पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम मियानगी थाना बडगाँव सहारनपुर सम्बंधित वाद सं0 3249/23 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम न्यायिक मिजस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर सहारनपुर को आज दिनाँक 22.03.24 को उसके घर ग्राम मियानगी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धनंजय पुत्र कदम सिंह नि0ग्रा0 मियानगी थाना बडगाँव सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

- 1. उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- 2. एचजी २०७६ जसवीर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस व उडन दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 324 बोतल अग्रेंजी व देशी शराब हरियाणा मार्का (कीमत लगभग 02 लाख 20 हजार रूपये) व एक महिन्द्रा गाडी बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहे है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस व उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान दो शातिर शराब तस्कर अभियुक्तगण 1.इल्ताफ उर्फ प्रवेज पुत्र अनवर निवासी ग्राम जुलाहो माजरा थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा 2.नीरज उर्फ भारगो पुत्र जसबीर निवासी ग्राम रायइग्रोवाला थाना खिजराबाद उर्फ प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा को कासमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 08 पेटी अंग्रेजी शराब व 19 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का व इस शराब के परिवहन हेतु प्रयोग में लायी जा रही एक महिन्द्रा एक्सयूवी गाडी बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 52/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि हम यह शराब हरियाणा राज्य के ठेके से खरीदकर ला रहे थे जिसे उत्तर प्रदेश में आस पास के क्षेत्रों में बेच देते है जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी हम यह शराब हरियाणा राज्य से खरीदकर उत्तर प्रदेश में बेचने के लिये ला रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

- 1. इल्ताफ उर्फ प्रवेज पुत्र अनवर निवासी ग्राम जुलाहो माजरा थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा।
- 2. नीरज उर्फ भारगो पुत्र जसबीर निवासी ग्राम रायइयोवाला थाना खिजराबाद उर्फ प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण –

08 पेटी अवैध अग्रेंजी शराब

19 पेटी देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

01 MAHINDRA XUV 500 रजि0न0 HR 51A 4620

02 मोबाइल

- 1. उ0नि0 सतेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2. हेका० २५६ रवि कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 3. का० २४४५ जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 4. उडन दस्ता टीम



-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना कृतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को वाद सं0 123/21 अ0सं0 685/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर,सहारनपुर सम्बन्धित माननीय न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कोर्ट नं0 12 सहारनपुर से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र इकराम निवासी चांद कालौनी निकट फातिमा मिरजद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त अब्दुल्ला उपरोक्त को आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल्ला पुत्र इकराम निवासी चांद कालौनी निकट फातिमा मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 2. उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कृतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 3. है0का0 240 अनूप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 4. का० 1057 शक्ति सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 5. का० २०९७ अशोक बादल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर एनबीडबल्यू वारंटी गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के 2024 दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.24 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक शांतिर एनबीडबल्यू वारन्टी अभियुक्त फैजान उर्फ बिच्छू पुत्र इलियास निवासी अब्दुल-हक थाना देवबंद जनपद सहारनुपर को संबंधित वाद स0 1157/13 मु0अ0स0 700/12 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 व वाद सं0 357/13 मु0अ0स0 141/13 धारा 457/380/511 भादवि में शेखुल हिन्द जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उपरोक्त अभियुक्त थाना देवबन्द का हिस्ट्रीशीटर भी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 140/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

फैजान उर्फ बिच्छू पुत्र इलियास नि0 अब्दुलहक थाना देवबंद जनपद सहारनुपर।

बरामदगी का विवरण-

- 🕨 01 तमंचा .315 बोर नाजायज
- 🕨 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –</u>

- 1. मु0अ0स0 700/12 धारा ४/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद
- 2. मु0अ0स0 141/13 धारा 457/380/511 भादवि चालानी थाना देवबंद
- 3. मु0अ0स0 169/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबंद
- 4. मु0अ0स0 182/16 धारा 380/411/457 भादवि चालानी थाना देवबंद
- 5. मु0अ0स0 532/16 धारा ८/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबंद
- 6. मु0अ0स0 1452/18 धारा ८/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबंद
- 7. मु0अ0स0 533/16 धारा ४/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद

- 8. मु0अ0स0 483/11 धारा 323/324/452/504/506 भादवि चालानी थाना देवबंद
- 9. मु०अ०स० ६१०/१३ धारा ३७१/४११ भादवि चालानी थाना देवबंद
- 10.मु0अ0स0 659/10 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना देवबंद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 राकेश पंवार थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- है0का0 655 कमलेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- का० २३४ अरूण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



-<u> प्रेस नोट-</u>

दिनांकः 22.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

<u>थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, 12 ग्राम स्मैक बरामद</u>

अवगत कराना है कि विरष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 2024 जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम , नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अपराधियों व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर,एएसपी एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चिलकाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.24 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक शांतिर वारन्टी अभियुक्त फरीद पुत्र स्व0 नाजिम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को चैंकिंग के दौरान बुढीं यमुना नदी से ग्राम दूधगढ को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलकाना का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त फरीद उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 58/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त फरीद उपरोक्त ने पुछताछ पर बताया कि मै पढां लिखा नहीं हूं। मैने यह स्मैक आने जाने वाले ट्रक ड्राईवर से सस्ते दाम में खरीदी है, जिनका नाम पता मै नहीं जानता हूं। इस स्मैक को मै आस पास के क्षत्रों में आने जाने वाले लोगों को महंगे दाम पर बेच देता हूं जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।आज भी मै यह स्मैक खरीदकर बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरीद पुत्र स्व0 नाजिम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

12 ग्राम अवैध स्मैक।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

अ०स० 32/2010 धारा 395/397 भादिव व 29,54,59 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बुढिया यमुनानगर हिरयाणा। अ०स० 33/2010 धारा 392/401 भादिव व 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बुढिया यमुनानगर हिरयाणा। अ०स० 61/2013 धारा 458/302/34 भादिव चालानी थाना खरखपुर यमुनानगर हिरयाणा। अ०स० 826/06धारा 302 भादिव चालानी थाना कोतवाली शामली उत्तर प्रदेश। अ०स० 1294/06 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना कोतवाली शामली उत्तर प्रदेश। अ०स० 232/06 धारा 393 भादिव चालानी थाना कोतवाली शामली उत्तर प्रदेश। अ०स० 345/17 धारा 411/414/465/467 भादिव चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर। अ०स० 294/17 धारा 379/411 भादिव चालानी थाना कोतवाली सरसावा सहारनपुर। अ०स० 2020/16 धारा 379/411 भादिव चालानी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फर नगर।

अ०स० 126/19 धारा २/३ गैगस्टर एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर। अ०स० 198/2023 धारा ६० आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

02. उ०नि० राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

03. हे0का० ४९४ योगेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

04. हे0का0 934 सजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांकः 22-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

<u>थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी</u>

तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण /अवैध शस्त्रों तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त जाबिर पुत्र सूबेदीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर को पाजराणा नदी के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक तमन्चा देशी 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बारामद हुए । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-102/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर उपरोक्त ने बताया कि मैने यह तमन्चा व कारतूस आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर से खरीदा है जिसे मे अपनी सुरक्षा व लोगों में अपना रोब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाबिर पुत्र सूबेदीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाबिर -

- 1. मु0अ0सं0 159/22 धारा 398/401 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।
- 2. मु0अ0सं0 160/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
- 3. मु०अ०सं० ४५४/२२ धारा ८/२१ एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
- 4. मु0अ0सं0 178/21 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
- 5. मु०अ०सं० 180/२1 धारा ४१४ भादवि थाना बेहट सहारनपुर।
- 6. मुं0अ0सं0 270/21 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
- 7. मुअ०सं० २७३/२१ धारा ४१४ भादवि थाना बेहट सहारनपुर।
- 8. मु०अ०सं० ३२२/२३ धारा ८/२१/२२/२९ एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

- गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

चाक् बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त बुद्धू उर्फ गुलशेर पुत्र बाबू निवासी हरोडा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को देहरादून हाईवे हरोडा कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 4/25 आमर्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त बुद्धू उर्फ गुलशेर उपरोक्त ने बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने के लिये चाकू अपने साथ रखता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

बुद्धू उर्फ गुलशेर पुत्र बाबू निवासी हरोडा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

मु०अ०सं० ०४३०/२०१९ धारा ५/८ गौवध अधिनियम व ११ पशु क्रूरता अधि० थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर । मु०अ०सं० ००७१/२०२० धारा २/३ गैगंस्टर एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

01 चाकू नाजायज

- 1. उ0नि0 अनित यादव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
- 2. है0का0810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
- 3. का012 टुकेश थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।



अधीक्षक वरिष्ठ सहारनप्र, उत्तर जनपद

थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर , पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फ्रुटी 70 पाउच देशी शराब मसालेदार महबुबा गोल्ड मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रणअवैध शराब व नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम व इसमें , सहारनपुर ,संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवंक्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 21.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा शातिर नशा तस्कर 02 अभियुक्तगण 1. अरशद पुत्र असगर नि2 बुढ्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 0. अर्जुन पुत्र विजयपाल नि ग्राम 0बीराखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर को ग्राम नयेगांव की तरफ से जाने वाले रजवाहे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से फ्रूटी 70 पाउच देशी शराब मसालेदार महबूबा गोल्ड मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु ०सं०अ०-84/ 0आबकारी अधि 60 धारा 24पंजीकृत किया गया। । अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनो पढ़े लिखे नही है। हम दोनो ठेके से शराब लाकर जिन गांवो के पास ठेके नहीं है वहाँ महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।आज जब हम शराब बेचने जा रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –</u>

- 1. अरशद पुत्र असगर नि बुढ्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 0
- 2. अर्जुन पुत्र विजयपाल नि ग्राम 0बीराखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

फ्रूटी पाउच देशी शराब मसालेदार 70महबूबा गोल्ड।

आपराधिक इतिहास अभि-अर्जुन उपरोक्त 0

1. मु0अ0सं0 199/23 धारा 3/5क/8 गौहत्या निवारण अधि0 चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर

अभि को गिरफ्तार करने वाली 0पुलिस पार्टी -

- 1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 2. उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 3. उप निरीक्षक ओमवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 4. का ब्रजेश कुमार 2049 0थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 5. का दीपक भारद्वाज 339 0थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

दिनांकः 22.03.2024



-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

<u>थाना सदर बाजार , सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम</u>

चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त राशिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को रामलीला ग्राउंड के पास गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 150 ग्राम नाजायज चरस बरामद हई। बरमामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभि0 राशिद पुत्र खुर्शीद उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ०सं० 170/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

राशिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

अभि0 राशिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

- 1.मु०अ०सं० 105/२० धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट थाना को० देहात जनपद सहारनपुर।
- 2.मु०अ०स० ६२८/२१ धारा ४/२५ आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

🕨 150 ग्राम नाजायज चरस ।

- 1. उ0नि0 श्री धीरज सिह सदर बाजार जिला सहारनपुर।
- 2. का० 186 विमल सदर बाजार जिला सहारनपुर।